



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आषाढ़, 1947 (श०)

संख्या - 305 राँची, मंगलवार,

8 जुलाई, 2025 (ई०)

वित्त विभाग

संकल्प

31 जुलाई, 2024

सं०सं० : वित्त-7/विविध-2003/2009- 1855

विषय: मोबाईल फोन की सुविधा के संबंध में।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1961 दिनांक 01.09.2021 द्वारा राज्य सरकार के मंत्रीगण एवं विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के लिए मोबाईल क्रय एवं रिचार्ज कूपन की अधिसीमा का निर्धारण किया गया है।

2. सम्प्रति मोबाईल सेट के रख-रखाव, मोबाईल सेट के गुम होने की स्थिति में, पदाधिकारी के सेवानिवृत्त, सेवा-त्याग अथवा स्थानांतरण/प्रोन्नति की स्थिति में मोबाईल सेट की उपयोगिता इत्यादि अन्यान्य बिंदुओं में स्पष्टता नहीं रहने के कारण विभिन्न विभागों के स्तर से परामर्श की अपेक्षा की जाती रही है।

3. साथ ही संकल्प में वर्णित मंत्रीगण/पदाधिकारियों से इतर अन्य सेवा के पदाधिकारियों के द्वारा भी अपने कार्यक्षेत्र में मोबाईल की आवश्यकता दर्शाते हुए मोबाईल सेट एवं रिचार्ज कूपन की सुविधा अनुमन्य करने का अनुरोध किया गया है।

4. उक्त क्रम में भारत सरकार एवं देश के अन्य राज्यों में पदाधिकारियों एवं कर्मियों के दूरभाष संबंधी अनुमन्यता का अध्ययन किया गया एवं झारखण्ड राज्य में पदस्थापित सभी राजपत्रित पदाधिकारियों के लिए भी मोबाईल सेट एवं रिचार्ज कूपन की सुविधा दिए जाने की आवश्यकता महसूस की गई।

5. राज्य सरकार के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न रूपेण मोबाईल सेट की अनुमन्यताएँ एवं अधिसीमा को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है:

<u>पद जिन्हें मोबाईल अनुमान्य है</u>	<u>मो बाई ल सेट की अधि सी मा</u>	<u>रिचार्ज कूपन की अधिसीमा</u>
मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री/मुख्य सचिव/पुलिस महानिरीक्षक/आयुक्त एवं सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/क्षेत्रीय महानिरीक्षक/आरक्षी उपमहानिरीक्षक/उपायुक्त तथा आरक्षी अधीक्षक	रू०. 60,0 00/-	रू०.3000/- प्रतिमाह
विशेष सचिव स्तर के पदाधिकारी	रू०. 45,0 00/-	रू०. 2000/- प्रतिमाह
अपर सचिव/संयुक्त सचिव/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक(निदेशालय मुख्यालय में)/ प्रधान कर्मचारीवृन्द अधिकारी	रू०. 40,0 00/-	रू०. 1,500/- प्रतिमाह
उप सचिव/उप निदेशक ,निदेशालय मुख्यालय में/वरीय प्रधान आप्त सचिव	रू०. 35,0 00/-	रू०. 1,000/- प्रतिमाह
अवर सचिव/सहायक निदेशक (निदेशालय मुख्यालय में) प्रधान आप्त सचिव/ कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी एवं अन्य सभी राजपत्रित पदाधिकारी	रू०- 30,0 00/-	रू०- 750/- प्रतिमाह

6. मोबाईल सेट की क्रय, सुरक्षा व रखरखाव, प्रतिधारण प्रतिस्थापन, सेवानिवृत्ति/ स्थानांतरण/प्रोन्नति/सेवा से परित्याग की स्थिति में निम्न रूप से दिशा-निर्देश निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है: -

(i) मोबाईल सेट की क्रय, सुरक्षा व रख-रखाव: -

(a) संबंधित पदाधिकारी/कर्मि चाहें तो विभाग/कार्यालय के स्तर से मोबाईल सेट प्राप्त कर सकते हैं अथवा स्वयं मोबाईल सेट का क्रय कर विभाग/कार्यालय से अनुमन्यता के आधार पर प्रतिपूर्ति प्राप्त कर सकते हैं।

(b) मोबाईल सेट के क्रय की तिथि से 4 वर्ष के लिए उपकरण सरकार की संपत्ति होगी। इस अवधि में सुरक्षा व डेटा की गोपनीयता की जिम्मेदारी संबंधित पदाधिकारी की होगी।

(ii) **मोबाईल फोन की प्रतिधारण /प्रतिस्थापन: -**

(a) किसी भी पदाधिकारी को मोबाईल फोन उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में अगले **04** वर्षों तक उस पदाधिकारी को कोई नया मोबाईल फोन आवंटित नहीं किया जा सकेगा।

(b) मोबाईल फोन के लिये निर्धारित आयु के अंतर्गत फोन के गुम हो जाने अथवा खराब हो जाने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी से फोन के लिये अनुमान्य राशि/मूल राशि से **Depreciation Value** घटाकर राशि प्राप्त हो जाने के उपरांत मोबाईल फोन आवंटित किये जाने पर विभाग/कार्यालय विचार कर सकता है।

(c) निम्नवृत्तालिका के अनुसार मोबाईल फोन के मूल राशि/अनुमान्य राशि के आधार पर **Depreciation Value** परिगणित किया जायेगा।

Depreciation Value की तालिका: -

उपकरण क्रय की तिथि से विचारण की तिथि तक	महीनों की संख्या	Depreciation	उपकरण का मूल्यांकन (राशि जो कर्म से प्राप्त होगी।)
20.06.2024 से 20.12.2024 तक	<06 माह	0	पूरी राशि का भुगतान
20.06.2024 से 20.06.2025 तक	06-12 माह	12.5%	मूल राशि का 87.5%
20.06.2024 से 20.12.2025 तक	12-18 माह	25%	मूल राशि का 75%
20.06.2024 से 20.06.2026 तक	18-24 माह	37.5%	मूल राशि का 62.5%
20.06.2024 से 20.12.2026 तक	24-30 माह	50%	मूल राशि का 50%
20.06.2024 से 20.06.2027 तक	30-36 माह	62.5%	मूल राशि का 37.5%
20.06.2024 से 20.12.2027 तक	36-42 माह	75%	मूल राशि का 25%
20.06.2024 से 20.06.2028 तक	42-48 माह	87.5%	मूल राशि का 12.5%
20.06.2028 के बाद की अवधि	>48 माह	100%	शून्य भुगतान

(d) मोबाईल फोन के क्रय के उपरांत 04 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर संबंधित पदाधिकारी मोबाईल फोन को Retain कर सकेंगे। संबंधित विभाग सुनिश्चित करेंगे कि मोबाईल फोन दिये जाने के पूर्व सभी आवश्यक एवं महत्वपूर्ण डाटा मोबाईल फोन से हटा दिये जाय।

(iii) सेवानिवृत्ति/स्थानांतरण/प्रोन्नति/सेवा से परित्याग की स्थिति पर: -

(a) संबंधित पदाधिकारी जिनकी सेवानिवृत्ति में 04 वर्ष से कम की अवधि शेष हो अथवा जिन्होंने 04 वर्ष के अंतराल में अपनी सेवा का परित्याग किया हो, वे अपनी सेवानिवृत्ति/सेवापरित्याग तिथि को कंडिका-6(ii)(c) में अंकित प्रक्रिया के आधार पर मोबाईल फोन का मूल्यांकन कर अपेक्षित राशि का भुगतान करते हुए मोबाईल फोन को Retain कर सकेंगे।

(b) झारखण्ड सरकार के अंतर्गत संबंधित पदाधिकारी का स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति होने की स्थिति में पदाधिकारी आवंटित मोबाईल फोन का उपयोग करते रह सकेंगे। उक्त का अंकन संबंधित पदाधिकारी के अंतिम वेतन प्रमाण पत्र में किया जायेगा।

(c) प्रोन्नति होने पर, पदाधिकारी जिन्हें मोबाईल फोन आवंटित है, उनके द्वारा उपयोग किये जा रहे मोबाईल फोन की आयुपूर्ण न हुई हो तो उन्हें नये धारित पद के अनुमान्यता के आधार पर मोबाईल फोन देय नहीं होगा।

7. यदि राजपत्रित पदाधिकारी को किसी योजना के अंतर्गत मोबाईल फोन अनुमान्य है तो ऐसी स्थिति में संबंधित पदाधिकारी किसी एक स्रोत से ही मोबाईल फोन की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे।

8. पूर्व में निर्गत वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1961/वि० दिनांक 01.09.2021 को इस हद तक संशोधित किया जाता है।

9. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1713/वि० दिनांक 15.07.2024 के क्रम में दिनांक 24.07.2024 की बैठक के मद सं० 02 में दी गई है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,
सचिव ।
